जनपद शामली पुलिस

--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति **दिनांक 22.07.2022**

थाना कांधला

थाना कांधला पुलिस द्वारा ग्राम खेड़ा कुरतान में हुई 05 वर्षीय बच्ची की हत्या करने वाला हत्याभियुक्त गिरफ्तार , कब्जे से आलाकत्ल डण्डा व अवैध चाकू बरामदः-

अवगत कराना है कि दिनांक 19.07.2022 को समय करीब 09.30 बजे खुर्शेद पुत्र सीदा निवासी खेड़ा कुरतान थाना कांधला जनपद शामली द्वारा थाना कांधला पुलिस को सूचना दी कि उनकी पुत्री खैरून को उमरदीन पुत्र जबरा निवासी ग्राम खेड़ा कुरतान थाना कांधला ने हत्या कर शव को प्लास्टिक के कट्टे में अपने ही घर में रखा हुआ है। सूचना पर तत्काल थाना कांधला पुलिस मय फोर्स के घटना स्थल पर पहुची। थाना कांधला पुलिस द्वारा बच्ची के शव का पचंनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। प्रथम दृष्टया बच्ची के सिर में चोट का निशान व किसी धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या होना प्रतीत हो रहा था। उक्त घटना के संबंध में थाना कांधला पर परिजनों द्वारा नामजद लिखित तहरीर दाखिल की गई। दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 299/2022 धारा 302,201 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया । हत्या की घटना में शामिल अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा प्रभारी निरीक्षक कांधला को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये थे । घटना के सम्बन्ध में थाना कांधला पुलिस द्वारा हत्याभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किये गये।

जिसके क्रम में आज दिनांक 22.07.2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा सूचना पर खेड़ा कुरतान के जंगल से बच्ची की हत्या के मामले में वांछित हत्याभियुक्त उमरदीन उपरोक्त को आलाकत्ल डण्डा व अवैध 01 चाकू सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि वह अपने घर पर बैठा आम खा रहा था इसी दौरान मेरी भतीजी खैरून मेरे घर आयी और मुझसे आम मांगने लगी। मैने उसे आम देने से मना कर दिया। उसने मुझसे फिर आम मांगा तो मैने उसका गला दबा दिया जिससे वह जोर-जोर से चिल्लाने लगी। उसी वक्त मैने उसके सिर में डण्डा मार दिया जिससे उसके सिर से खून निकलने लगा और मै उसे उठाकर बाथरूम में ले गया। बाथरूम में खैरून की चाकू से गला रेतकर हत्या कर शव को प्लास्टिक के बोरे में रखकर अपनी छत पर लकडियों के नीचे छिपा दिया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1-उमरदीन पुत्र जबरा उर्फ जबरदीन निवासी ग्राम खेड़ा कुरतान थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.आलाकत्ल 01 डण्डा।

2.आलाकत्ल अवैध 01 चाकू।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में थाना कोतवाली शामली/मॉनिटरिंग सेल/अभियोजन सेल द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते अपराधी को माननीय न्यायालय (स्पेशल पोक्सो कोर्ट) जनपद मु0नगर द्वारा सुनाई गई कठोर कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गयाः-

अवगत कराना है कि वर्ष 2015 में कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त मोहित उर्फ राहुल शर्मा पुत्र संजय शर्मा निवासी मौहल्ला दयानन्द नगर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई थी। जिसके संबंध में नाबालिग के परिजन द्वारा थाना कोतवाली शामली पर तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिल तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था तथा सुसंगत एवं ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। माननीय न्यायालय (स्पेशल पोक्सो कोर्ट) मु0नगर जनपद मु0नगर में उक्त मामले का विचारण किया गया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में थाना कोतवाली शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा गवाहों को समय से कोर्ट में उपस्थित कर गवाही संपन्न कराई गई। थाना कोतवाली शामली/अभियोजन सेल/मॉनिटरिंग सेल जनपद शामली के अथक प्रयास एवं निरंतर प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 22.07.2022 को माननीय न्यायालय (स्पेशल पोक्सो कोर्ट) मु0नगर द्वारा उक्त मामले में अभियुक्त मोहित उर्फ राहुल शर्मा को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई है। अभियुक्त मोहित उर्फ राहुल शर्मा को धारा 363 भादवि में 03 वर्ष कारावास व 3,000/-रुपये अर्थदंड, धारा 366 भादवि मे 08 वर्ष कारावास व 8,000/- रूपये के अर्थदंड, धारा 376 भादवि में 20 वर्ष के कठोर कारावास व 20,000/- रूपये अर्थदंड से दण्डित किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1. मोहित उर्फ राहुल शर्मा पुत्र संजय शर्मा निवासी मौहल्ला दयानन्द नगर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।